



कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां सीकर
(निदेशालय विस्तार शिक्षा)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
अरनियां सीकर (राजस्थान),



कं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./निविदा/2025/27

दिनांक: 07.05.2025

खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र अरनिया-श्रीमाधोपुर, सीकर के वर्ष 2025-26 में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु इच्छुक फर्मो/सेवा प्रदाता संस्थाओं से दिनांक 19.05.2025 प्रातः 11.30 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बंद लिफाफे में खुली निविदा प्रक्रिया के तहत तकनीकी एवं वित्तीय निविदाये आमंत्रित की जाती है।

1. कार्य का नाम व कमांक	भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तीय वर्ष 2025-26
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट चैक/नगद
4. निविदा लागत (राशि)	अनुमानित लागत 4.90 लाख रु.
5. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 2 प्रतिशत
6. कार्य की अनुमानित मात्रा	संस्थागत व असंस्थागत प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु लगभग 4.90 लाख रु.
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	07.05.2025 से 19.05.2025 तक (कार्यालय समय)
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	19.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	19.05.2025 को दोपहर 01.30 बजे
10. पत्राचार हेतु पता-वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां	मोबाईल नं०- 9877201228 Email:- pc.kvk.arnia@sknau.ac.in

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस खुली निविदा हेतु दिनांक 19.05.2025 को आपका प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रम करें।
- श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस खुली निविदा हेतु दिनांक 19.05.2025 को आपका प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रम करें।
- प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करे।
- संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां।
- लेखा शाखा, कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां।
- नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां/पंचायत समिति श्रीमाधोपुर।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

निविदा की शर्तें

1	निविदादाता के निविदा छुटने के पश्चात अनुमानित लागत राशि 4.90 की 5 प्रतिशत धरोहर राशि कार्यादेश मिलने के पश्चात 7 दिवस में जमा करवानी होगी। बैंक चैक/डी.डी. "Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Arnia" के पक्ष में देय होगी।
2	यह दर संविदा अनुबंध पत्र निष्पादित करने से एक वर्ष तक मान्य होगी है।
3	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर " भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था" लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, अरनियां सीकर को प्रेषित होनी चाहिए।
4	1. सीलबन्द एक लिफाफे तकनीकी रूप से समिलित करने हेतु निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके ऊपर बाहर <u>तकनीकी दस्तावेज</u> लिखा जावे। 2. निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति 3. सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति 4. निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 5. पैनकार्ड की छायाप्रति। 6. धरोहर राशि 2.00 प्रतिशत (9800/-रु.) डिमांड ड्रॉफ्ट (Senior Scientist and Head KVK, Arnia) संलग्न करना होगा 7. स्वघोषणा पत्र 8. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो। 9. सीलबन्द दुसरे लिफाफे में वित्तीय रूप से समिलित करने हेतु निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट संख्या 1 अलग से रखा जावे। जिसके ऊपर बाहर <u>वित्तीय दरें</u> लिखा जावे। 10. दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे
5	सफल निविदा दाता द्वारा धरोहर राशि के एवज में अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत जमा करवाना होगा।
6	अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्य, गोष्ठी व बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय-समय पर दी जाती रहेगी।
7	भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली, सरसों (डबल रिफाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
8	सब्जी ऋतु के अनुसार अलग-अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
9	भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
10	भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11	भोजन/ चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदादाता की होगी।
12	भोजन व्यवस्था/ केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13	भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
14	उक्त वर्णित भार्ता के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र अरनियां, सीकर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPPA2012, व RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी।
16	दर्शित कार्य ठेकेदार को कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
17	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
18	भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।
19	उपायन व पारदर्शिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।



20.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
21.	कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग-अलग कार्यों के लिए पृथक-पृथक निविदादाता/ फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।
22.	सर्विस टैक्स / GST हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
23.	आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार / फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।
24.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
25.	प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मैनु ध्यानपूर्वक पढ़ ले किसी भी प्रकार की कांट-छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
26.	भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
27.	खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्म के पास खाद्यान्न सप्लाई लाईसेन्स एवं आयकर विभाग का पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
28.	भोजन प्रशिक्षण स्थल पर मीनू के अनुसार ताजा भोजन बनाकर खिलाना होगा।
29.	भोजन बनाने एवं खिलाने, सफाई आदि समस्त सामग्री एवं कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
30.	भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
31.	बिल का भुगतान कोशालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
32.	लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा।
33.	दो दिवसीय/ तीन दिवसीय/ पाँच दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग-अलग होगा।
34.	ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
35.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं दिया जायेगा।
36.	भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
37.	भोजन केन्द्र के किसान घर में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पचात् सफाई की व्यवस्था भी पार्टी निविदादाता को करनी होगी। कई बार केन्द्र से बाहर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिसमें सीकर जिले में कहीं भी कार्यक्रम होने पर निविदानुसार भोजन व नाश्ता आदि की व्यवस्था निर्धारित स्थान पर करने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
38.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नहीं दिया जावेगा तथा कार्यालय की भातों के अनुरूप कार्य करना होगा।
39.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरियता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतो ाजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
40.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
41.	निविदा भरने से पूर्व समस्त भातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
42.	मैं निविदा की समस्त भातों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त भातों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
43.	सफल निविदादाता को 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व स्वच्छ एवं ताजा भोजन बनाकर देने व कार्यरत श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

घोषणा पत्र

मैं उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए चाय
नाश्ते व भोजन की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य
रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार
मय मोहर



निविदादाता द्वारा संस्थागत व असंस्थागत प्रशिक्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का
विवरण एवं मेन्यू के अनुसार दरों का विवरण
वर्ष 2025-26

क्र सं	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा दी गयी दरें (समस्त करो सहित)
1.	चाय + 2 बिस्कुट (गुड डे)	
2	साधारण नाश्ता - समोसा / कचौड़ी + एक पीस मिठाई (70 ग्राम) + एक केला	
3	स्पेशल नाश्ता - समोसा / कचौड़ी + दो पीस मिठाई + एक केला + 30 ग्राम सलोनी / नमकीन मिक्सर + चिप्स	
4	भोजन पैकेट- एक सूखी सब्जी (मिक्स)+ पूड़ी 08 नग +अचार +बूँदी दाना या अन्य मिठाई 100 ग्राम।	
5	साधारण खाना - भरपेट पूड़ी / रोटी + सूखी सब्जी + दाल + रायता + एक मिठाई	
6	स्पेशल खाना - 1 चुरमा (देशी घी में) + बाटी + दाल + बेसन गट्टे की सब्जी + मिर्च के टरपोले	
7	स्पेशल भोजन - 2 पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, दाल, रायता, चावल पुलाव, सलाद, रोटी (चुपड़ी हुई), पापड, गुलाब जामुन एवं आईसक्रीम	
8	मिनरल वाटर बोतल 200 मिलीलीटर	
	मिनरल वाटर बोतल 01 लीटर	
	मिनरल वाटर कैन 20 लीटर	

मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर व मोहर

मय पता

व मोबाईल नं० सहित

स्वघोषणा पत्र

(रु. 50.0 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर जमा की जानी है, जिसे विधिवत नोटरीकृत किया गया हो)

मैसर्स श्री के प्रोपराईटर के रूप में
शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु मैने केवीके अरनियां
की निविदा भरी है मुझे/हमे आज दिनांकतक किसी भी विभाग/संस्था द्वारा
काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है उक्त तथ्य मेरी जानकारी मे पूर्णतया सत्य है यदि यह
किसी भी स्तर पर असत्य पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी
मै नियमानुसार कार्यवाही के लिए बाध्य रहूँगा।

